

24-17

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीछरीन~~  
~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/अपकाश पर हैं/अन्य~~  
~~कार्यों में व्यस्त हैं/अन्य स्थानांतरण हो गया है।~~  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-3-17  
को पेश हो।

  
रीडर

7-3-17

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीछरीन~~  
~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/अपकाश पर हैं/अन्य~~  
~~कार्यों में व्यस्त हैं/अन्य स्थानांतरण हो गया है।~~  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-4-17  
को पेश हो।

  
रीडर

11-4-17

वकील उभयपक्ष उपर है। वास्तव तलवी प्रतिवादी पत्रा  
दि 16-5-17 को पेश हो।

3

16-5-17


पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली  
दि 26-5-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बूचोलाई  
पर पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे।


26-5-17


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प बूचोलाई  
पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उपस्थित हैं। पक्षकारों  
ने राजीनामा पेश किया जिसमें वादी ने तकनीकी त्रुटी  
के कारण अपना दावा वापिस लेने व मवीन दावा पेश  
करने की अनुमति चाही है तथा दावा विद्वाल में  
स्वार्जिज करने का निवेदन किया है।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया  
जाकर वादी को मवीन दावा पेश करने की  
अनुमति के साथ यह दावा वापिस लेने की अनुमति  
प्रदान की जाती है एवं इसी अनुसार वादी का दावा  
विद्वाल में स्वार्जिज किया जाता है। पत्रावली चैसल  
शुमार होकर नवंबर से कम हो एवं बाद तकमील  
दाखिल हो।

  
(विवेक कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

  
(सतीश कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

  
(काबूलाल जार)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर

यालय  
सीन आ  
जन पुत्र  
ड होल्डर  
दमा नं. -  
वादी  
वादी की  
कारी) के  
जाती है।  
लोक  
त करने।  
य का हि  
खर्चा  
यह उ



उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी  
सुरज

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म क  
में ज

**मूल वाद मे डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बूचोलाई

पीठासीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

सुरजन पुत्र सोन्या, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

सदमा नं. - 120/2016

वादी की ओर से वादी सुरजन की व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी वादी को नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वादी का दावा विद्वाल मे खारिज किया जाता है। राजीनामा पक्षकारों का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



  
बाबूलाल जाट  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी  
कलेक्टर

**वाद के खर्चे**

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

1738  
जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
पक्षकारों  
नोकि त्रुटी  
पेश  
दाल में  
सुरज  
क्रिया  
की  
नुमति  
दावा  
सल  
मील  
नार )

शा.र.दे  
26-5-2017

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ..... गू-चीवर्मा

नम्बर मुकदमा..... 120/2016

उनवान मुकदमा..... सुरजन

बनाम

कै.उ.दो.र.

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा  
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/  
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता  
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान गू-चीवर्मा  
दिनांक 26/5/17

सुरजन

